

ए०टी०एल०  
विकास यात्रा

पत्र संख्या-ए०/ए०जे०-10/09(खण्ड)/.....<sup>2771</sup>...../जे०

(145)

बिहार सरकार  
विधि विभाग

प्रेषक,

जोनाथन टुडू,  
सरकार के उप सचिव  
बिहार, पटना ।

सेवा में,

सचिव,  
जन शिकायत कोषांग,  
मंत्रिमंडल सचिवालय, विभाग, बिहार, पटना।

दिनांक-...17/7/09...

विषय:- मुख्यमंत्री सचिवालय का संदर्भ सं०-1102930104

प्रसंग:- मुख्य सचिव के ज०श०को० का प०-2092 वि०या० दिनांक-26.06.2009 ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रासंगिक पत्र दिनांक 08.7.2009 का प्राप्त हुआ।

श्री ओम प्रकाश पासवान, सचिव, अधिवक्ता संघ, गोगरी, जिला-खगड़िया द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र के संबंध में कहना है कि पूर्व में सी०डब्लू०जे०सी० नं०-12393/2001 प्रगतिशील अधिवक्ता सहायक कल्याण संस्थान बनाम बिहार सरकार में माननीय उच्च न्यायालय, पटना ने संघ द्वारा उनकी माँगों के संबंध में दायर वाद को खारिज कर दिया गया। सरकार ने सम्यक रूप से विचारोपरांत संघ की माँगों को अस्वीकृत कर दिया गया एवं इसकी सूचना संघ को भी दे दी गई है।

पुनः सी०डब्लू०जे०सी० नं०-2711/03 में भी संघ द्वारा दायर वाद को माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है एवं सरकार पर निर्णय लेने हेतु छोड़ दिया गया। सरकार के स्तर पर निर्णय हेतु संचिका उपस्थाति है। उक्त में निर्णय होने के पहले प्राप्त आवेदन के संबंध में कोई कार्रवाई संभव नहीं है। प्रासंगिक पत्र के कॉडिका-2 के आलोक में आवेदक को भेजे जाने संबंधित प्रारूप अनुमोदनार्थ संलग्न कर भेजी जा रही है।

अनुरोध है कि अनुमोदनोपरान्त संबंधित प्रारूप वापस की जाय।

अनु०:- यथोपरि (1)।

विश्वासभाजन

(जोनाथन टुडू)

सरकार के उप सचिव,

विधि विभाग, बिहार, पटना ।

जन शिकायत कोषांग (प०.स०)  
दस्तावेज संख्या: 24/09-वि.भा.  
दिनांक: 24.7.09

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*